पत्रांक 515 /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2010–11/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादूनः: 03 मई, 2010

प्रार्थना पत्र सं0 – 5250/25–9–09
सर्वश्री कैटविजन प्रोडक्ट्स लि0,
एफ–87 यू.पी.एस.आई.डी.सी.
इण्डस्ट्रीयल एरिया सेलाकुई, देहरादून।
निर्णय का दिनांक– अप्रैल 2010,
फर्म की ओर से उपस्थित– श्री बी0एस0रावत अधिवक्ता श्री विनोद रावत फर्म वाइस प्रेसीडेन्ट फाईनेंस एवं श्री राजेश खेत सी.टी.ओ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री कैटविजन प्रोडक्ट्स लि0, इण्डट्रीयल एरिया सेलाकुई, देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये Modulators, Optic Transmitters,EDFA,Optic node, Transmitter Amplifiers and Set Top boxes पर लागू करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि उक्त वस्तुऐं वैट अधिनियम की कर अनुसूची 2(ख) से आच्छादित न होने के कारण इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होगी।

3. फर्म की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एस0रावत तथा श्री विनोद रावत वाइस प्रेसीडेन्ट फाईनेंस एवं श्री राजेश खेत सी0टी0ओ0 उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं को रखते हुये प्रश्नगत वस्तुओं की कार्य प्रणाली एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में लिखित उत्तर दाखिल किया गया।

4. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में फर्म की तरफ से उपस्थित प्रतिनिधियों की ओर से रखे गये तथ्यों एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। फर्म द्वारा जिन वस्तुओं को उत्पादित करते हुये बेचा जा रहा है वे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी कर दर की अनुसूची से आच्छादित नही है। फर्म के द्वारा इन वस्तुओं को उक्त अधिनियम की अनुसूची 2(ख) के कमांक 61 पर अंकित प्रविष्ठि के अन्तर्गत Transmission apparatus other than apparatus for radio or TV broadcasting, Aerials,Antennas and parts, DVD and CD से आच्छादित मानने का अनुरोध किया गया है, वह तथ्यपरक नही है। मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2(ख) के कमांक 61 पर सूचना प्रोद्यौगिक उत्पाद जैसा कि नीचे वर्णित है को रखते हुये 32 वस्तुओं को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। व्यापारी के द्वारा जो वस्तऐं उत्पादित की जा रही है वह वस्तुतःसूचना प्रोद्यौगिक उत्पाद नही है, जैसा के फर्म द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उक्त उत्पाद केबिल,टी.वी.नेटवर्क से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त उक्त उत्पाद स्पष्ट रुप से कमांक 61 पर अंकित प्रविष्टियों से आच्छादित नही होते है। फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुऐ जिनमें modulators optic transmitters,EDFA,optic nodes, amplifiers है, उन्हें प्रविष्टि 61 के कमांक–(VII) पर अंकित प्रविष्टि"संचारण उपकरण, रेडियो या टी.वी. ब्राडकास्टिगं के उपकरण को छोड कर"तथा कमांक–(IX) पर अंकित प्रविष्टि "एरियल्स, एंटीना और पार्ट्स" से स्पष्टतः आच्छादित नही होती है। कमांक–(VII) पर केवल वे ही संचारण सूचना प्रोद्यौगिक के संचारण उपकरण सम्मिलित है जो रेडियो अथवा टी.वी. ब्राडकास्टिगं के उपकरण नही है जबकि फर्म द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया जा रहा है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुऐं टी.वी. broadcasting में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार set top boxes को कमांक(XXXII) पर अंकित

पृ0–2

03052010

(4)

DVD and CD, से आच्छादित नही माना जा सकता है। DVD and CD, set top boxes से न केवलफक्शनल रुप से अलग है बल्कि जन सामान्य में भी ये अलग–अलग कार्यो हेतु प्रयुक्त एवं प्रचलित है। अतः व्यापारी के द्वारा उत्पादित प्रश्नगत वस्तुऐं उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही होते है। अतः इन पर RNR की दर से अर्थात 12.5 प्रतिशत की दर से बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर करदेयता लागू होगी।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं व्यापारी को पंजीकृत डाक से भेजी जाय।

03 05 2010

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 513 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
7. सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
9. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
14. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
15. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

03 05 2010

o/c

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।